APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम झुन्झुनूं

बनाम प्रतिवादी

नं. 127/2018 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] प्रार्थी द्वारा वकील प्रार्थना-पत्र [illegible] अनुसार का पेश करने पर फैसला [illegible] से तलब कर आज की पेशी में लगाई [illegible] प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई [illegible] वकील प्रतिवादी ने प्रा०-पत्र स्वीकार करने पर [illegible] आपत्ति नहीं होना प्रा०-पत्र पर अंकित किया। इनकी अधिकता न पाए होने पर राजीनामा [illegible] 31.9.2017 पर वहक सुनी [illegible] दोनों अधिकारियों ने सुलाहिक राजीनामा [illegible] करने का निर्देश किया। [illegible] आदेश दिनांक 9-11-20 को [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)	
फैसला अग्रिम आदेश हेतु पेश है। फैसला [illegible] करते हुए प्रस्तुत राजीनामा व वहक [illegible] पहकारान [illegible] किया गया [illegible] पाए वारीगण सुलाहिक [illegible] राजीनामा [illegible] जाकर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2020.11.20 15:07:10 IST
Reason: SelfAttested